संख्या-15 /2023/ I/296094/2023/012-71-4002-002-3-2021

प्रेषक,

आनन्द कुमार त्रिपाठी,
उप सचिव,
उ0प्र0 शासन

सेवा में,

निदेशक
राजकीय आयुर्विज्ञान संस्थान
ग्रेटर नोएडा

चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-4 लखनऊ : दिनांक 30 मार्च, 2023

विषयः- वित्तीय वर्ष 2022-23 में अनुदान संख्यां-31 के अन्तार्गत राजस्व- लेखा पक्ष में राजकीय आयुर्विज्ञान संस्थान, ग्रेटर नोएडा हेतु मानक मद-20-सहायता अनुदान सामान्य (गैर वेतन) पर व्यय में पुनर्विनियोग के माध्याम से धनराशि स्वीकृत किए जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-जी0.आई0.एम0.एस0/2022-23/118, दिनांक 17.01.2023 एवं पत्र संख्या-जी0.आई0.एम0.एस0/2022-23/243, दिनांक 01.02.2023 के क्रम में महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0 लखनऊ के पत्र संख्या-एमई/बजट/2022-23/856, दिनॉक 17.03.2023 के द्वारा की गयी संस्तुति के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2022-23 में अनुदान संख्या-31 के अन्तर्गत राजस्व लेखा पक्ष में लेखाशीर्षक 2210-05-105-03-25 डा0 राम मनोहर लोहिया इंस्टीट्यूट आफ मेडिकल साइंसेज, गोमतीनगर, लखनऊ के मानक मद-31-सहायता अनुदान सामान्य (वेतन) में रू0 700.00 लाख की बचत से राजकीय आयुर्विज्ञान संस्थान, ग्रेटर नोएडा के मानक मद-20-सहायता अनुदान सामान्य (गैर-वेतन) में रू0 400.00 लाख (रू0 चार करोड़ मात्र) संलग्न बी0एम0 प्रपत्र के अनुसार पुनर्विनियोग कर व्यय किये जाने हेतु निम्नलिखित शर्तों/प्रतिबंधों के अधीन श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है:-

नियम व शर्ते / प्रतिबन्धों

1) पुनर्विनियोग की जा रही धनराशि का व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2022-23 में ही किया जायेगा।
2) स्वीकृत धनराशि का उपयोग उसी मद में चालू वित्तीय वर्ष 2022-23 में किया जायेगा।
3) जिस मद से धनराशि संक्रमित की जा रही है, में बचत की उपलब्धता का दायित्वय महानिदेशक का होगा।
4) जिस मद से पुनर्विनियोग किया जा रहा है, में चालू वित्तीय वर्ष 2022-23 में अतिरिक्त धनराशि की मांग नहीं की जायेगी।
5) वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप संख्या/-13/2022/बी-1-454/दस-2022-231/2022 दिनांक 07.06.2022 दिनांक 07 जून, 2022 में उल्लिखित दिशा-निर्देशों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा। पुनर्विनियोग के माध्य म से स्वीकृत की जा रही धनराशि का उपयोग उन्हीं कार्यो/मदों में किया जायेगा, जिसके लिए धनराशि स्वीकृत की जा रही है, किन्ही अन्य कार्यो/मदों पर धनराशि का व्यय अथवा व्ययावर्तन वित्तीय अनियमितता मानी जायेगी।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

2- इस संबंध में होने वाला व्यय रुपये 4,00,00,000 (रुपये चार करोड़ मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 20222023 के आय-व्ययक मे अनुदान संख्या 031 लेखा शीर्षक 2210051050371 चिकित्सा विश्वविद्यालय, ग्रेटर नोएडा की स्थापना मानक मद 20 सहायता अनुदान - सामान्य (गैर वेतन) के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त (आय - व्ययक) अनुभाग - 1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या - 13 / 2022/ बी-1-454/दस-2022-231/2022, दिनांक- 07-जून 2022 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,

(आनन्द कुमार त्रिपाठी),
उप सचिव

संख्या-15 /2023/I/296094/2023/012-71-4002-002-3-2021, तद् दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), उ0प्र0, प्रयागराज।
2- महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0 लखनऊ।
3- वित्त नियंत्रक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0, लखनऊ।
4- कोषाधिकारी, गौतमबुद्धनगर।
5- वित्त नियंत्रक, राजकीय आयुर्विज्ञान संस्थाएन, ग्रेटर नोएडा।
6- वित्त (आय-व्यकयक) अनुभाग-1/2
7- वित्त (व्यमय नियंत्रण) अनुभाग-3
8- संयुक्त सचिव/नोडल अधिकारी, (बजट) चिकित्सा/ शिक्षा विभाग, उ0प्र0 शासन।
9- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(आनन्द कुमार त्रिपाठी),
उप सचिव

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।